कार्यालय, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर

(शिक्षक नियोजन कोषांग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जिला परिषद् माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016 के पंचम चरण के अन्तर्गत प्रकाशित अंतिम मेधा सूची के आधार पर दिनांक 07.01.2017 को प्रमाण–पत्र मिलान / जाँच में उपस्थित अभ्यर्थियों की मेधा सूची के आधार पर उनके मेधा अंक के अनुसार आदर्श आरक्षण रोस्टर एवं रिक्ति के अनुरूप जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विषयों में विभागीय निर्देश के आलोक में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। प्रमाण–पत्र सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के विषयवार मेधा सूची एवं चयनित सूची जिला के वेबसाइट muzaffarpur.bih.nic.in पर प्रकाशित किया गया है।

चयनित अभ्यर्थियों का काउन्सिलिंग दिनांक 24.01.2017 को समय 11.00 बजे पूर्वाह्न से अपराह्न 02.00 बजे तक **इन्टर स्तरीय बी० बी० कॉलेजिएट मोतीझील, मुजफ्फरपुर** में निर्धारित काउन्टर पर होगी। उक्त तिथि को एक फोल्डर फाइल में चेक स्लिप के अनुसार अभ्यर्थी अपना सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लायेंगे। साथ ही घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। जिन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन के समय मूल प्रमाण–पत्र नहीं दिखा सके वैसे अभ्यर्थी अपना सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे।

आदर्श आरक्षण रोस्टर एवं रिक्ति के अनुरुप विषयवार चयनित सभी अभ्यर्थियों से निम्न मूल प्रमाण–पत्र काउन्सिलिंग के समय जमा ले लिया जायेगा।

01. एस०टी०ई०टी० का मूल प्रवेश–पत्र।
02. एस०टी०ई०टी० का मूल प्रमाण–पत्र।
03. आवेदन पत्र जमा का मूल रसीद।
04. प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय जारी रसीद की मूल प्रति।
05. शपथ–पत्र मूल रूप में लिया जायेगा। प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न शपथ–पत्र के प्रारूप के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ–पत्र।
06. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती के दादा / दादी का पी०पी०ओ० / तामपत्र / भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की सूची मूल रूप में देखा जायेगा एवं मूल पुनः वापस कर दिया जायेगा।
07. नाती / नतिनी के लिए नाना / नानी का पी०पी०ओ० / तामपत्र / भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की सूची मूल रूप में देखा जायेगा एवं मूल पुनः वापस कर दिया जायेगा।
08. चयनित स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतिनी होने का साक्ष्य के रूप में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली मूलरूप में जमा ले लिया जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों से दिनांक 24.01.2017 के समय 2.30 से 4.30 बजे तक अनुसूची II के अनुसार विद्यालय चयन हेतु सहमति पत्र भरवाया जायेगा।

उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं हाने की स्थिति में आपके दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

19/01/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना), मुजफ्फरपुर।

19/01/17

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर